(67)

न्यायालय श्रीमान सदस्य महोदय, राजस्व मण्डल म0प्र0ग्वालियर कैम्प रीवा जिला रीवा म0प्र0,

प्र0क्र0-

(S)

R - 4220- II/12

अधिवक्ता श्री कन्हैया लाल तिवारी द्वारा प्रस्तुत रीवा, दि.14-11-12

14-11-12

10-12-12

1- मथुरा साकेत पिता स्व0 गयादीन उम्र 60 साल, पेशा- मजदूरी निवासी ग्राम इटहा कला तहसील - नईगढी जिला रीवा म0प्र0,

2- रामनाथ साकेत पिता श्री सरमन साकेत उम्र 40 साल, पेशा- नौकरी ग्राम इटहा कला तह0 नईगढ़ी जिला रीवा म0प्र0, ---पुनरीक्षणकर्तागण

बनाम
===

1- रामचरण साकेत 2- शिवचरण साकेत 3- शिवनाथ साकेत	तीनों के पिता श्री स्व0लालमणि साकेत निवासी इटहा कला तह0 नईगढ़ी जिला रीवा म0प्र0,

-----गैरपुनरीक्षणकर्तागण,

पुनरीक्षण आवेदन पत्र बावत तहसीलदार तहसील नईगढ़ी जिला रीवा म0प्र0 के राजस्व प्र0क्र0- 75/2011/2012 में पारित आदेश दिनांक 13-4-2012 ,के विरुद्ध पुनरीक्षण।

पुनरीक्षण अंतर्गत धारा 50 म0प्र0भू0रा0सं0हिता 1959ई0,

मान्यवर,

पुनरीक्षण का संक्षिप्त विवरण :-

(क)- यह कि पुनरीक्षण कर्तागण द्वारा अपने स्वत्व एवं अधिपत्य की भूमि 2233/4/1 रकबा 135 में पुनरीक्षण कर्ता क्र0-1 ने अपना आवासीय मकान के सामने 3 पेड आम बाँस, भीरा 2तथा कूप निर्मित कराया था, तथा उसी से लगी पुनरीक्षणकर्ता क्र.2 की भूमि नं0-2233/3/छ/1 रकबा 1.35 एकड भूमि में पुनरीक्षण कर्ता को स्वत्व एवं अधिपत्य की भूमि है, जिसमें पानी पीने के लिये ट्यूबवेल कराया था, जिसकी उप -

नि. मथुरा साकेत क:

रामनाथ साकेत

67

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ–अ

प्रकरण क्रमांक R-4220-दो/12 जिला– रीवा

मथुरा साकेत व अन्य विरूद्ध रामचरण साकेत व अन्य

(1)	(2)	(3)
18.12.18	1. आवेदक की ओर से श्री कमलेश्वर तिवारी अधिवक्ता द्वारा यह निगरानी तहसीलदार/ ~~नायब तहसीलदार/राजस्व निरीक्षक~~, तहसील नईगढ़ी के प्रकरण क्रमांक 07/अ-5/11-12 में पारित आदेश दिनांक 13-4-12 के विरूद्ध प्रस्तुत की गयी है। म0प्र0 भू–राजस्व संहिता में दिनांक 25.09.2018 को हुये संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संशोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अन्तर्गत सुनवाई हेतु प्रकरण कलेक्टर, जिला रीवा के न्यायालय को अंतरित किया जाता है। उभयपक्ष दिनांक 6-3-19 को कलेक्टर रीवा के न्यायालय में सुनवाई हेतु उपस्थित हो। सदस्य	